भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1851

बुधवार, 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप का कारोबार

1851. श्री एल. एस. तेजस्वी सूर्याः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसी फर्म को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता देने के लिए उसके अधिकतम कारोबार को मौजूदा 25 करोड़ रुपये की सीमा से आगे बढ़ाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की स्टार्ट-अपों में प्रशिक्षुता के प्रतिशत में वृद्धि अथवा कमी करके उनकी कुल कार्मिक-संख्या की वर्तमान सीमा को 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना से आज तक कितने स्टार्ट-अप लाभान्वित हुए हैं और इसके सहायकों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) की संख्या कितनी है और स्टार्ट-अप कोष के अन्तर्गत एआईएफ से राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गई है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 127 (अ) के तहत किसी फर्म को स्टार्टअप के तौर पर मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकतम कारोबार की सीमा को 25 करोड़ रूपए के पहले के मानदंड से बढ़ाकर 100 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

(ख): प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 सभी विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों आदि में 40 कर्मचारियों या उससे अधिक (नियमित और संविदा कर्मचारियों का कुल योग) कार्यबल वाले सभी नियोक्ताओं के "नामित व्यापार" और "वैकल्पिक व्यापार" में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य बनाता है। 6 से 40 कर्मचारियों तक कार्यबल वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति वैकल्पिक है। तथापि, 5 या उससे कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में "स्टार्ट-अप्स" के लिए प्रावधान है। प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के नियम 7-ख के उप नियम (3) के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदा कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारियों के 2.5% से 10% तक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेगा।

वर्तमान में, प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुता के प्रतिशत को बढ़ाने या घटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ग): 31 मई 2019 की स्थिति के अनुसार, स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना के अंतर्गत बौद्धिक संपदा कार्यालय में पंजीकृत, कर्नाटक के पेटेंट और ट्रेडमार्क के सुविधाप्रदायकों की सूची अनुबंध 1 (क) और (ख) में दी गई है। 31 मई 2019 की स्थिति के अनुसार, इस एसआईपीपी योजना के अंतर्गत सुविधाप्रदायकों के माध्यम से पेटेंट हेतु 900 से अधिक आवेदन और ट्रेडमार्क हेतु 1900 से अधिक आवेदन दायर किए गए हैं।

(घ): भारत सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 10,000 करोड़ रूपए के स्टार्टअप्स फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की है। एफएफएस के लिए डीपीआईआईटी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) संचालन एजेंसी है। 24 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, सिडबी ने 49 सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए 3123.20 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन फंड ऑफ फंड्स कोष ने 27,478 करोड़ रूपए का कॉर्पस फंड जुटाया है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स से 483.46 करोड़ रूपए निकाले गए हैं। इसके अलावा, एआईएफ द्वारा 247 स्टार्टअप्स में कुल 1,625.73 करोड़ रूपए का निवेश किया है। एआईएफ द्वारा निवेश की गई निधि का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध II में दिया गया है।

*****

अनुबंध I (क)

दिनांक 03.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1851 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना के अंतर्गत कर्नाटक में पेटेंट सुविधाप्रदाताओं की सूची

पेटेंट सुविधाप्रदाता का नाम	पेटेंट एजेंट सं	विशेषज्ञता का क्षेत्र* (सुविधाप्रदाता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार)
अनुगू विजया भास्कर रेड्डी	2420	डेयरी प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उपभोक्ता उपकरण
बासवराजप्पा एन.टी.	2509	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
बीरेंद्र कुमार	1102	इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, दूरसंचार, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, बौद्धिक संपदा अधिकार
डॉ. पी. के. अश्विनी कुमार	331	-
कल्याण चक्रवर्ती कंकनाला	700	बायोसाइंसेज
नम्रता पी. शेनोय	2256	बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री और संबंधित बहुविषयक विषय
रितिका मनचंदा	2184	मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोमेडिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी और संबंधित क्षेत्र।
एस. अफसर	1073	इलेक्ट्रानिक्स
अभय पोरवाल	2631	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सी.एस.ई.
अनीता शर्मा	1475	कंप्यूटर साइंस
गौरव जैन	2562	इलेक्ट्रॉनिक्स, टेल्को., सॉफ्टवेयर, आईटी
एम. सुरेश गुप्ता	1302	फार्मास्यूटिकल्स
श्रीकांत चिलुकुरू	2682	रासायनिक/फार्मा
सैयद मुर्तुज़ा	2633	कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स
विनीता राधाकृष्णन	1157	बायोसाइंसेस, खाद्य उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स

अनुबंध I (ख)

दिनांक 03.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1851 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना के अंतर्गत कर्नाटक में ट्रेडमार्क सुविधाप्रदाताओं की सूची

नाम	**टीएमआर एजेंट पंजीकरण संख्या/अधिवक्ता**	**विशेषज्ञता का क्षेत्र * (सुविधाप्रदाता द्वारा घोषित)**
अनुगु विजया भास्कर रेड्डी	टीएमए / 1000	ट्रेड मार्क्स
बीरेंद्र कुमार	डी / 2012/11	ट्रेड मार्क्स
डी. प्रसन्ना भगवान	केएआर / 942/14	ट्रेड मार्क्स
रमा के.	17796	प्रदान नहीं किया गया
श्रीकांत वी. कुंबर	केएआर / 1008/14	प्रदान नहीं किया गया
श्रीवानी श्रीवास्तव	टीएमए / 1050	प्रदान नहीं किया गया
सुहासिनी एस.	केएआर / 2085/13	प्रदान नहीं किया गया
सैयद मुर्तुज़ा	टीएमए / 1053	प्रदान नहीं किया गया
विश्वम्भर आर.	केएआर / 977/14	ट्रेड मार्क्स
बबीता थरप्पन	टीएमआर एजेंट 32027	ट्रेड मार्क्स
संतोष विक्रम सिंह	केएआर / 2017/09	ट्रेड मार्क्स
अफसर एस. पटचा	एड्व. रजि.सं. केएआर / 1168/2012	प्रदान नहीं किया गया
मरम सुरेश गुप्ता	एड्व.रजि.सं.3052/2009	प्रदान नहीं किया गया
जाहेद मुल्ला	एएमआर / 13,571	प्रदान नहीं किया गया
दीपा ई.एस.	केएआर / 1536/18	प्रदान नहीं किया गया
अनीता शर्मा	केएआर / 1658/2012	प्रदान नहीं किया गया

अनुबंध-II

दिनांक 03.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1851 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड (एफएफएस) के अंतर्गत एआईएफ द्वारा किए गए निवेश का राज्यवार वितरण

राज्य	स्टार्टअप की संख्या जिसमें निवेश किया गया	एआईएफ द्वारा किया गया निवेश (करोड़ रुपये में)
कर्नाटक	75	499.85
महाराष्ट्र	68	440.38
दिल्ली	46	252.94
हरियाणा	12	120.54
तमिलनाडु	11	113.34
पश्चिम बंगाल	4	48.75
उत्तर प्रदेश	5	47.61
राजस्थान	5	40.28
तेलंगाना	6	28.22
पंजाब	1	14.50
केरल	8	10.87
मध्य प्रदेश	4	5.10
गुजरात	1	3.14
उत्तराखंड	1	0.22
कुल	**247**	**1625.73**

******